

प्रेषक,

चकबंदी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश,
लखनऊ।

34

सेवा में,

समस्त,

1. उप संचालक चकबंदी, उत्तर प्रदेश।
2. बन्दोबस्त/सहायक बन्दोबस्त अधिकारी चकबंदी, उत्तर प्रदेश।
3. चकबंदी अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

संख्या-3016 /जी-415/2009-10

दिनांक-05 जुलाई, 2011

विषय- चकबंदी न्यायालयों में एक दिन में युक्तियुक्त संख्या में सुनवाई हेतु वाद नियत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

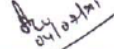
उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि समीक्षा के दौरान यह संज्ञान में आया है कि पीठासीन अधिकारियों द्वारा एक तिथि में सुनवाई हेतु अधिसंख्य वाद नियत कर लिये जाते हैं जबकि वास्तव में उतने वादों की सुनवाई उचित प्रकार से नहीं की जा सकती है तथा अधिकांश वाद सुनवाई से छूट जाते हैं। इस प्रकार वादकारियों को अनावश्यक कठिनाई तो होती ही है, उनमें असन्तोष की भावना भी उत्पन्न होती है। अनावश्यक रूप से अत्याधिक वादों को एक तिथि में सुनवाई हेतु लगाये जाने से पीठासीन अधिकारियों द्वारा वादों के निस्तारण की गुणवत्ता भी प्रभावित होती है। जोत चकबंदी मैनुअल के प्रस्तर 241(2) में यह स्पष्ट व्यवस्था है कि किसी एक तिथि पर उतने ही वाद अथवा अपीलें सुनवाई हेतु रखी जायें, जितने उस दिन सुनना सम्भव हो। इसी प्रकार मैनुअल के पैरा-242(च) में भी आपत्तियों, अपीलों/निगरानियों के निस्तारण में अनावश्यक तिथियां न दी जायें उनके निस्तारण में निम्नांकित बिन्दुओं को ध्यान में रखा जाये:-

1. जो तिथि सुनवाई हेतु निश्चित की जाये उसी तिथि को सुनवाई की जाये अन्य तिथि न दी जाये।
2. वाद एक तारीख में उतनी संख्या में लगाये जायें जितनी संख्या में सुनवाई किया जाना संभव हो। जितने वाद सुनवाई हेतु लगाये जायें उनकी सुनवाई निश्चित रूप से की जाये।
3. वाद उन्ही तारीखों में लगाये जायें जिन तारीखों में पीठासीन अधिकारी मुख्यालय पर उपलब्ध हो, अनावश्यक तारीख न लगाई जायें।
4. जिन तारीखों में किसी स्तर पर कोई बैठक का आयोजन हो उस तारीख को वाद न लगायें जायें।
5. यदि सुनवाई हेतु वाद निश्चित है तथा भ्रमण/निरीक्षण आदि आवश्यक है तो पूर्वाहन में भ्रमण/निरीक्षण कर लिया जाये तथा अपराहन में वादों की सुनवाई की जाये। अथवा इसी प्रकार समय का परिवर्तन कर निश्चित किए गए वादों की सुनवाई सुनिश्चित की जाये।

6. वादों में बहस सुनने के पश्चात पत्रावली बिना तारीख के न रखी जाये तथा प्रत्येक दशा में एक सप्ताह के भीतर निर्णय घोषित किया जाये।

अतः उपरोक्त परिपेक्ष्य में निर्देश दिये जाते हैं कि वादकारियों के हित में जोत चकबंदी मैनुअल के प्रस्तर 241(2) तथा 242(च) में दिये गये निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करें। यदि भविष्य में किसी न्यायालय में युक्तियुक्त संख्या से अधिक वाद सुनवाई हेतु नियत पाये जाते हैं तो सम्बन्धित पीठासीन अधिकारी के विरुद्ध यथोचित अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

भवदीय,



(पार्थ सारथी सेन शर्मा)

चकबंदी आयुक्त,

उत्तर प्रदेश।

संख्या व दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि-

1. प्रमुख सचिव राजस्व, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. समस्त जिलाधिकारी/जिला उप संचालक चकबंदी, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

/

(पार्थ सारथी सेन शर्मा)

चकबंदी आयुक्त,

उत्तर प्रदेश।